[ 2022 ] 17 एस. सी. आर. 54

स्वामी समर्थ सागर्स एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

वी.

लोकनेत मरुत्राव गुल्ले पैटल दीयानेश्वर

सहकारी शेखर कारखाना लिमिटेड और ओआरएस।

( सिविल अपील सं। 2022 का 4021)

13 जुलाई, 2022

[ हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955: एस. 3 गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966-खंड 6 ए, 6 सी और 6 डी-दो चीनी लगाने पर प्रतिबंध

कारखाने-औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई. ई. एम.) को लागू करने के लिए समय सीमा-2010 में, अपीलार्थी ने आई. ई. एम. के लिए आवेदन किया जिसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। मौजूदा चीनी कारखाने के बीच हवाई दूरी के संबंध में प्रमाण पत्र के आधार पर भारत सरकार ( उत्तरदाता नं. 1) 1974 में स्थापित और पास के प्रस्तावित चीनी कारखाने-लिखित याचिकाओं को आई. ई. एम. के अनुदान को चुनौती देते हुए दायर किया गया था

अपीलार्थी, प्रस्तावित चीनी कारखाने और मौजूदा कारखाने की हवाई दूरी 15 किलोमीटर से अधिक थी और वह

प्रस्तावित चीनी कारखाना नदी के किनारे से 500 मीटर के दायरे में आता है जिससे कोई विकास क्षेत्र नहीं है -

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी को सभी का अनुपालन करना आवश्यक है

प्रदूषण-रोधी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी सहित कानून और हवाई दूरी प्रमाण पत्र जारी करने को फिर से नहीं खोला जा सकता है-इसके बाद महाराष्ट्र राज्य ने निर्देश दिया

कि नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 6 ए के प्रावधान के अनुसार 25 किलोमीटर के दायरे में कोई नया चीनी कारखाना स्थापित नहीं किया जाएगा।

कोई भी मौजूदा चीनी कारखाना या कोई अन्य नया कारखाना-इसके बाद, औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को लागू करने की समय सीमा में संशोधन किया गया-अपीलकर्ता ने तब उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए एन. ओ. सी. की मांग की, जिसे राज्य के अधिकारियों द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी।

नतीजतन, अपीलार्थी ने समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया और

पहले के स्थान पर कोई विकास नहीं होने के कारण स्थान परिवर्तन

क्षेत्र और स्वीकार कर लिया गया-मौजूदा चीनी कारखाने द्वारा विस्तार और स्थान परिवर्तन के अनुदान को चुनौती देने वाली रिट याचिका सरकार ने 2020 तक दो बार विस्तार की अनुमति दी-एक और रिट

मौजूदा चीनी कारखाने द्वारा दायर याचिका में विस्तार और स्थान परिवर्तन के अनुदान को चुनौती दी गई-उच्च न्यायालय ने माना कि

अपीलार्थी ने दो साल की अवधि के भीतर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया था।

54 स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योग बनाम। लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना

ई. एम. आई. की स्वीकृति की तारीख से वर्ष; कि आई. ई. एम.

चीनी नियंत्रण आदेश को 26.08.2016 पर संशोधित किए जाने से पहले मान्यता रद्द कर दी गई थी, जिसने कार्यान्वयन की अवधि बढ़ा दी थी; कि

नियमों और क़ानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विस्तार दिया गया था; और संशोधन के अनुसार, नई चीनी

कारखाना कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए-इस संबंध में मुद्दा उठा कि क्या मुकदमेबाजी के पहले दौर में अपीलार्थी के खिलाफ कोई अंतरिम आदेश के अभाव में, जिस अवधि के दौरान रिट याचिकाएं लंबित थीं, उसे बाहर रखा जा सकता है; क्या राज्य/केंद्र सरकार आई. ई. एम. का विस्तार देते समय ऐसी अवधि को बाहर रखने में उचित थी; क्या अपीलार्थी के खिलाफ शुरू किया गया एल. आई. एस. ऐसी मुकदमेबाजी में खर्च की गई अवधि को बाहर करने का पर्याप्त कारण है और आई. ई. एम. का विस्तार करने के लिए राज्य/केंद्र सरकार के लिए एक उचित आधार था; क्या राज्य द्वारा संशोधित खंड 6 सी के प्रावधान के संदर्भ में संशोधित नियंत्रण आदेश।

महाराष्ट्र आई. डी. 1 पर तब लागू होगा जब उच्च न्यायालय ने पहले की रिट याचिका में कहा है कि अपीलकर्ता या किसी अन्य पक्ष के कहने पर हवाई दूरी प्रमाण पत्र के मुद्दे को फिर से नहीं खोला जा सकता है, और क्या आई. ई. एम. खड़ा है।

खंड 6 डिग्री सेल्सियस में निर्दिष्ट समय के भीतर चीनी कारखाना स्थापित करने और उत्पादन शुरू करने में उद्यमी की विफलता या ऐसी समाप्ति नियंत्रण आदेश के खंड 6 डी के संदर्भ में एक आदेश पारित होने के बाद ही होगी-आयोजितः लैटिन उक्ति 'एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट' में कहा गया है कि न्यायालय का कार्य किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा-मुकदमे के पूरे इतिहास के दौरान, अपीलकर्ता रिट याचिकाओं को प्राप्त करने के अंत में था, इस प्रकार, इस तरह की याचिकाओं में बिताई गई अवधि का उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है-हालांकि रिट याचिकाओं में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था, इस तरह की याचिकाओं ने अपीलकर्ता के निर्धारित स्थान पर एक चीनी कारखाना स्थापित करने और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के अधिकार पर संदेह पैदा कर दिया-रिट याचिकाएं चार साल की अवधि के लिए लंबित रहीं, जो उस अवधि में बिताई गई थी।

ऐसी रिट याचिकाओं का बचाव करने के लिए राज्य/केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश में निर्धारित समय सीमा का विस्तार करने के लिए वैध रूप से विचार किया गया था-विस्तार तब दिया गया था जब उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे का दूसरा दौर लंबित था जिसके कारण अपीलकर्ता प्रभावी कदम उठाने में सक्षम नहीं था-समय का विस्तार देने के लिए सक्षम प्राधिकारी का निर्णय शक्तियों का एक उचित प्रयोग था-नियंत्रण आदेश में बाद का संशोधन होगा

आई. ई. एम. के लिए कोई आवेदन पहले से जारी नहीं है-जब तक कि [2022] 17 एस. सी. आर.

प्रदर्शन गारंटी को जब्त कर लिया जाता है, आई. ई. एम. की कोई चूक नहीं होती है-दोनों शर्तों को पूरा करना पड़ता है, (i) संयंत्र स्थापित करने और उत्पादन शुरू करने में विफलता और फिर (ii) संयंत्र का अधिग्रहण।

प्रदर्शन गारंटी दूसरा तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि पहला संतुष्ट न हो और दूसरा कदम नियंत्रण आदेश के खंड 6 डी के संदर्भ में व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का पालन किए बिना नहीं उठाया जा सकता है जब तक कि आवश्यक न हो।

आई. ई. एम. की मान्यता रद्द करने के परिणाम सामने आते हैं,

आई. ई. एम. की कोई स्वचालित चूक नहीं-अपीलार्थी ने रुपये की प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत की थी। 1 करोड़, हालांकि, कोई कदम नहीं उठाया गया

राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की प्रदर्शन गारंटी को जब्त करने के लिए क्योंकि कोई कारण दिखाएँ नोटिस भी नहीं है, इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आई. ई. एम.

मान लिया जाता है कि केवल चूक होने के कारण स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है समय-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अस्थिर है और खारिज कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 . लैटिन उक्ति 'एक्टस क्यूरी नेमिनेम'

गुरुत्वाकर्षण अर्थात न्यायालय का कार्य किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

यह सर्वविदित है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के तथ्यों के लिए इसकी प्रयोज्यता की जांच की जानी चाहिए। अपीलार्थी को नियंत्रण के खंड 6 ए के स्पष्टीकरण 4 के तहत विचार किए जाने तक कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाने के लिए उचित ठहराया गया था।

आदेश दें। एरियल दूरी एक वैध आई. ई. एम. के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। न्यायालय के कार्य के कारण हुई चोट, यदि कोई हो, को पूर्ववत किया जाएगा और जो लाभ पक्षकार ने अर्जित किया होगा, जब तक कि वह न्यायालय के आदेश द्वारा बाधित नहीं किया गया हो, उसे ऐसा करने के लिए उत्तरदायी पक्षकार को उपयुक्त रूप से आदेश देकर पक्षकार को बहाल या प्रदान किया जाएगा। न्यायालय ने देखा कि मुकदमा एक फलदायी उद्योग में बदल सकता है। हालाँकि मुकदमेबाजी जुआ नहीं है, फिर भी हर मुकदमे में संयोग का एक तत्व होता है। बेईमान वादी हो सकते हैं अदालतों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित महसूस करते हुए, अदालत को प्रथम दृष्टया मामला बनाकर उनके पक्ष में अंतर्वर्ती आदेश पारित करने के लिए राजी करते हुए जब मुद्दों की सुनवाई और गुण-दोष के आधार पर निर्धारण किया जाना बाकी है और यदि बहाली की अवधारणा को आवेदन से बाहर रखा गया है। [ पैरा 23] [74-जी-एच; 75-ए-डी]

1.2 . अपीलार्थी रिट प्राप्त करने के अंत में था

याचिकाएँ दायर की गईं और इस तरह के मुकदमे के अंत में थीं और स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योग बनाम।

लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना

इस तरह की सूची में बिताई गई अवधि का उपयोग अपीलार्थी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है [पैरा 24] [76-एफ] 1.3 . हालाँकि रिट याचिकाओं में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था, लेकिन इस तरह की याचिकाओं ने रिट याचिकाओं के अधिकार पर एक बादल पैदा कर दिया।

अपीलार्थी को निर्धारित स्थान पर एक चीनी कारखाना स्थापित करने और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए। रिट याचिकाएं चार साल की अवधि के लिए लंबित रहीं। इसलिए, ऐसी रिट याचिकाओं का बचाव करने में बिताई गई अवधि को वैध रूप से ध्यान में रखा गया था

14.11.2018 पर विस्तार जब 12.08.2018 पर संशोधित नियंत्रण आदेश सक्रिय और प्रभावी था। नियंत्रण आदेश में किए गए संशोधन उद्यमियों के लाभ के लिए थे। इसलिए, नियंत्रण आदेश जैसा कि इसकी तारीख पर मौजूद था

विस्तार लागू होगा। यह ऐसे खंड के संदर्भ में है कि अपीलार्थी को रुपये की अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। 50 लाख। इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति 14.11.2018 पर संशोधित वैधानिक नियंत्रण आदेश के संदर्भ में है। [ पैरा 26] [78-बी-डी]

1.4 हवाई दूरी प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से था

मौजूदा चीनी कारखाने और नए कारखाने के बीच की दूरी इसे बढ़ाकर 25 किलोमीटर कर दिया गया। भले ही राज्य द्वारा नियंत्रण आदेश में पहले ही संशोधन किया जा चुका था, लेकिन उच्च न्यायालय ने माना कि हवाई दूरी केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किए गए आई. ई. एम. की तारीख पर लागू होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि

मुकदमे के पहले दौर में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को कोई चुनौती नहीं है। इसलिए, मुकदमे के दूसरे दौर में उच्च न्यायालय भी यह अभिनिर्धारित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं था कि संशोधित दूरी नियम लागू होंगे। [ पैरा 27] [78-जी-एच; 79-ए]

1.5 . सक्षम प्राधिकारी को सक्षम बनाने के लिए नियंत्रण आदेश की भाषा में बार-बार संशोधन किया गया है। "अप्रत्याशित परिस्थितियों" के कारण समय का विस्तार प्रदान करें। 12.08.2018 पर संशोधित नियंत्रण आदेश व्यक्ति [2022] 17 एस. सी. आर. के नियंत्रण से परे एक से अधिक अप्रत्याशित परिस्थितियों पर विचार करता है।

चिंतित हैं। यह सक्षम प्राधिकारी को आई. ई. एम. की वैधता बढ़ाने का भी अधिकार देता है जहां भूमि उपयोग, पर्यावरण या "ऐसे अन्य कारण" से संबंधित किसी भी अदालती मामले के कारण देरी होती है। खंड 6 सी का उपखंड (सी) सक्षम प्राधिकारी को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन एक समय में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए और विस्तार देने का अधिकार देता है। इसलिए, इस तरह के संशोधित नियंत्रण आदेश का उद्देश्य और उद्देश्य यह है कि

चीनी मिल को अदालती मामलों में बिताए गए समय को छोड़कर उत्पादन शुरू करना चाहिए। हालाँकि अपीलकर्ता आई. ई. एम. का बचावकर्ता था और मुकदमेबाजी के पहले दौर में कोई रोक नहीं थी, लेकिन दिया गया विस्तार "ऐसे अन्य कारण" की श्रेणी में आता है। मुकदमे के पहले दौर में, हवाई दूरी प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी, रिट याचिकाकर्ता इस तरह की चुनौती में विफल रहे हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि अपीलार्थी को क्षेत्र में प्रदूषण विरोधी कानूनों और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित कानूनों का पालन करना आवश्यक है। इस तरह के आदेश ने अपीलार्थी की तलाश को प्रेरित किया

गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र से इनकार को देखते हुए वैकल्पिक स्थान।

इसलिए, 2010-2014 वर्षों के लिए मुकदमेबाजी में बिताई गई अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से बाहर रखा गया है। [ पैरा 29] [79-डी-एच; 80-ए-बी]

1.6 . उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय के किसी निष्कर्ष के अभाव में कि केंद्र सरकार का निर्णय इतना मनमाना है,

अतार्किक या अन्यायपूर्ण। उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए गंभीर रूप से गलती की है कि अपीलार्थी ने इसे लागू नहीं किया था मुकदमेबाजी के पहले दौर में रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान आई. ई. एम.। [ पैरा 31] [82-डी-ई]

1.7 . नियंत्रण आदेश की योजना से पता चलता है कि एक बार आई. ई. एम. दिए जाने के बाद, समयसीमा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। आई. ई. एम. जारी करने की तिथि। इसलिए, नए चीनी कारखाने के संबंध में बाद का संशोधन लागू होगा, जिसे स्थापित करने का प्रस्ताव है। आई. ई. एम. उसी के जारी होने की तारीख से समय सीमा तय करता है और नियंत्रण आदेश में बाद के संशोधन में पहले से जारी आई. ई. एम. के लिए कोई आवेदन नहीं होगा। [ पैरा 32] [82-एफ-जी; 83-ए]

1.8 . सभी विस्तार तब दिए गए थे जब मामला अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था और स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योग बनाम के अधीन था।

लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना

रिट याचिकाओं का परिणाम। इसलिए, आई. ई. एम. के विस्तार के बार-बार अनुदान के बारे में आपत्तियां बहुत अधिक सारहीन नहीं हैं। [ पैरा 40] [86-ए-बी]

1.9 . अनुदान देने के लिए सक्षम प्राधिकारी का निर्णय

समय का विस्तार उसे प्रदत्त शक्तियों का उचित प्रयोग है और इसे अवैध, तर्कहीन या प्रक्रियात्मक अनुचितता से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है [पैरा 41] [86-सी]

1.10 . हालांकि 10.11.2006 के साथ-साथ 24.08.2016 और 12.08.2018 पर लागू होने वाला खंड 6C विचार करता है कि आई. ई. एम.

मान्यता रद्द होने पर और प्रदर्शन गारंटी जब्त कर ली जाएगी, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद खंड 6 डी के संदर्भ में प्रदर्शन गारंटी जब्त कर ली जाएगी। दोहरी शर्तों को पूरा करना होगा-(i) संयंत्र स्थापित करने और उत्पादन शुरू करने में विफलता और फिर (ii) प्रदर्शन गारंटी को जब्त करना। दूसरा तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि पहला संतुष्ट न हो और दूसरा कदम व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का पालन किए बिना नहीं उठाया जा सकता। नियंत्रण आदेश का खंड 6 डी। जब तक प्रदर्शन गारंटी जब्त नहीं की जाती है, तब तक आई. ई. एम. की कोई समाप्ति नहीं होती है। इस प्रकार, जब तक आई. ई. एम. की मान्यता रद्द करने के आवश्यक परिणाम नहीं होते हैं

ऐसा करने पर, आई. ई. एम. की कोई स्वचालित समाप्ति नहीं होती है। बाद के संशोधित नियंत्रण आदेशों में भी यही भाषा है। अपीलार्थी ने रुपये की प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत की थी। 1 करोड़, हालांकि राज्य द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया

सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार का ज़ब्त करना प्रदर्शन की गारंटी क्योंकि कारण दर्शाओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आई. ई. एम. को केवल समय की समाप्ति के कारण स्वचालित रूप से समाप्त माना जाता है। [ पैरा 44] [86-जी-एच; 87-ए-डी]

1.11. अपीलार्थी को चीनी मिल की स्थापना के लाभ से केवल प्रतिरोध के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है

प्रतियोगी, जिसके मन में केवल वित्तीय हित था। प्रतिस्पर्धा के मामले में, यह उपभोक्ता (किसान) है जो लाभार्थी है। वर्तमान मामले में, किसानों को प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं मिल रहा है जिससे उन्हें समय पर भुगतान और बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं [पैरा 45] [पैरा 87-जी] [2022] 17 एस. सी. आर.

1.12 . केंद्र सरकार द्वारा दिया गया तर्क कि

अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत 31.08.1998 पर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा के दो प्रमुख पहलू हैं-एक मौजूदा और नए चीनी कारखाने से संबंधित और दूसरा किसानों के संदर्भ में। मौजूदा और नए चीनी कारखाने के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण, यह किसान होंगे जो लाभान्वित होंगे क्योंकि उनके पास चीनी मिल का चयन करने का विकल्प होगा जो मूल्य के भुगतान के तरीके में बेहतर सेवा प्रदान करता है। इसे ध्यान में रखते हुए

रंगराजन समिति की सिफारिशें और यह तथ्य कि केंद्र सरकार ने समय पर विस्तार देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, अंतिम लाभार्थी किसान होगा और मौजूदा या नए चीनी कारखाने को नहीं। [ पैरा 50] [91-डी-ई]

1.13 . उच्च न्यायालय का आदेश माना गया था कि

अस्थिर। रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। मुकदमेबाजी के दूसरे दौर में बिताई गई अवधि को भी उस अवधि का निर्धारण करते समय बाहर रखा जाएगा जिसके दौरान संयंत्र की स्थापना की जानी थी और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना था। [ पैरा 51] [91-एफ]

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम एम. पी. और अन्य का राज्य

( 2003 ) 8 एससीसी 648: [ 2003 ] 4 पूरक। एससीआर 651, बेग राज

सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (2003) 1 एस. सी. सी. 726:

[ 2002 ] 5 पूरक। एस. सी. आर. 530-पर निर्भर।

मेसर्स ओजस इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम। मेसर्स अवध शुगर मिल्स लिमिटेड ए. आई. आर 2007 एस. सी. 1619: [ 2007 ] 4 एससीआर 661, टाटा

सेलुलर वी। भारत संघ (1994) 6 एससीसी 651: [ 1994 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 122, बाबाजी कोंडाजी गराड बनाम। नासिक

मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक और अन्य

( 1984 ) 2 एस. सी. सी. 50 [1984] 1 एस. सी. आर. 767, धनंजय

रेड्डी बनाम। कर्नाटक राज्य (2001) 4 एससीसी 9: [ 2001 ] 2 एस. सी. आर. 399 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[ 2007 ] 4 एससीआर 661

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

और 33

[ 2003 ] 4 पूरक। एससीआर 651

उस पर भरोसा करें

पैरा

23,28 और 29

[ 2002 ] 5 पूरक। एससीआर 530

संदर्भित किया गया है

पैरा 25 स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योग v. लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना

[ 1994 ] 2 पूरक। एससीआर 122

उस पर भरोसा किया

पैरा 30

[ 1984 ] 1 एससीआर 767

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

2001 ] 2 एससीआर 399

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.4021

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 23.07.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की रिट याचिका No.6754 में औरंगाबाद में बॉम्बे बेंच में न्यायिक कार्य।

के साथ

सिविल अपील सं। 4022 और 2022 का 4023।

मुकुल रोहतगी, सी. ए. सुंदरम, अनिल वाई. सखारे, हरीश साल्वे,

पी. चिदंबरम, सुश्री सोनिया माथुर, आर. एन. धोर्डे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , दिलीप अन्नासाहब तौर, निखिल रोहतगी, रोहन एस. मिरपुरी, शशांक खुराना, सुश्री मंजीत कृपाल, नंद कुमार देशमुख, एम. वाई. देशमुख,

अद्वैतिया, दुर्गा दत्त, हरीश पांडे, शैलेश मडियाल, शरत नांबियार, विनायक शर्मा, मोहम्मद। अखिल, पी. वी. योगेश्वरन, अमरीश कुमार, राज बहादुर यादव, मनन वर्मा, सुश्री शुभांगी तुली, सुश्री तान्या अग्रवाल, सुश्री मृदुला सिंह चौहान, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, अखिलेश्वर झा, ई. विनय कुमार, सुश्री मंजू जेटली,

अंशुमन अशोक, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य पी. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपील तीन रिट याचिकाओं से उत्पन्न होती हैं जो

23.07.2021 दिनांकित एक सामान्य आदेश द्वारा तय किया गया था। इनमें से दो रिट याचिकाएं प्रतिवादी द्वारा दायर की गई थीं-लोकेते मरुतराव घुले पाटिल ज्ञानेश्वर सहकारी सखार कारखाना Ltd.[1], जबकि तीसरी याचिका मौजूदा चीनी कारखाने के सदस्यों द्वारा दायर की गई थी। चूँकि तीनों रिट याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा आम था, इसलिए, इसका फैसला उच्च न्यायालय द्वारा एक सामान्य आदेश द्वारा किया गया था।

2. रिट याचिकाओं में निर्देश की मांग की गई थी कि औद्योगिक

गन्ना (नियंत्रण) आदेश के खंड 6 सी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिनांकित उद्यमी ज्ञापन 2 की मान्यता रद्द/रद्द की जाए।

1 मौजूदा चीनी कारखाना

2 संक्षेप में, 'आई. ई. एम.' [2022] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19663. चुनौती इस आधार पर थी कि एक नया कारखाना स्थापित करने और उत्पादन शुरू करने की समय सीमा 2 साल थी यह 4 वर्षों (2 + 4) के भीतर था, लेकिन अपीलकर्ता ऐसी समय सीमा के भीतर उत्पादन स्थापित करने और शुरू करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने में विफल रहा।

नियंत्रण आदेश द्वारा विचार किया गया। एक अन्य आधार यह था कि महाराष्ट्र राज्य ने नियंत्रण आदेश के खंड 6ए के तहत आई. डी. 1 पर एक परिपत्र जारी किया था कि किसी भी मौजूदा चीनी कारखाने या किसी अन्य नए कारखाने के 25 किलोमीटर के दायरे में कोई चीनी कारखाना स्थापित नहीं किया जाएगा।

आई. ई. एम. के अनुदान की तारीख पर मौजूद, इसलिए प्रस्तावित चीनी कारखाना 25 किलोमीटर के मानदंड को पूरा नहीं करता है। अंत में, यह तर्क दिया गया कि चीनी कारखाने की स्थापना के लिए कदमों के अभाव में और

नियंत्रण आदेश के प्रावधान के संचालन द्वारा मान्यता प्राप्त। इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा चीनी कारखाने की स्थापना के लिए 14.11.2018 पर जारी विस्तार का अनुदान और उसके बाद समय का एक और विस्तार और 17.10.2019 पर स्थान बदलना नियंत्रण आदेश के विपरीत था। 3. वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजूदा चीनी कारखाने की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी, और यह दावा किया जाता है कि इसके पास इससे अधिक चीनी है।

01.05.2012 पर एक नया IEM जारी किया गया था। 4. अपीलार्थी ने आई. ई. एम. के लिए 08.09.2010 पर आवेदन किया, जिसे भारत सरकार ने चीनी आयुक्त के बाद स्वीकार किया।

महाराष्ट्र ने मौजूदा चीनी कारखाने और पास के प्रस्तावित चीनी कारखाने रामदोह (वारखेड़), तहसील-नेवासा, जिला-अहमदनगर के बीच हवाई दूरी के संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी किया। यह बताया गया कि रामदोह (वारखेड़), तहसील-नेवासा, जिला अहमदनगर में प्रस्तावित चीनी कारखाने से सटे अन्य चीनी कारखानों के स्थलों के बीच हवाई दूरी 15 किलोमीटर से अधिक थी। इस तरह के प्रमाण पत्र के आधार पर, अपीलार्थी द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद आई. ई. एम. को स्वीकार किया गया था।

रु. की राशि से। 1 एक करोड़ जो 04.04.2016 तक लागू रहना था।

5. हालाँकि, इसके तुरंत बाद 23.09.2010 पर एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें अपीलार्थी को दिए गए आई. ई. एम. को चुनौती दी गई।

प्रस्तावित चीनी कारखाने और मौजूदा चीनी कारखाने की दूरी। आई. ई. एम. को जमीनी स्तर पर चुनौती देते हुए 17.03.2011 पर एक और रिट याचिका दायर की गई थी।

उन्होंने प्रस्तावित किया कि चीनी कारखाना विरान संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था। दोनों रिट याचिकाओं का नेतृत्व 27.01.2014 पर किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित पारित किया था::

" 4. इसके केवल अवलोकन से संकेत मिलता है कि किसी भी मौजूदा चीनी कारखाने के 15 किलोमीटर के दायरे में कोई नया चीनी कारखाना स्थापित नहीं किया जाएगा।

6. इसलिए यह प्रमाण पत्र, दिनांक 17.08.2010, खंड 6-ए की आवश्यकता के अनुपालन में है जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, यही एकमात्र पहलू है - इस याचिका में याचिकाकर्ता चिंतित हैं

7. अब रिट याचिकाकर्ता और जनहित याचिका याचिकाकर्ता एक और मुद्दा उठा रहे हैं, जिसका नाम प्रस्तावित चीनी कारखाने का अनुपालन न करना है।

कोई विकास क्षेत्र नहीं है और इसलिए इसे स्थापित नहीं किया जा सकता है। 8. इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद, केवल इसलिए कि खंड 6-ए का पालन किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि चीनी कारखाने या प्रस्तावित चीनी कारखाने को अन्य कानूनों का पालन नहीं करना है। वे क्षेत्र में प्रदूषण विरोधी कानूनों और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित कानूनों का भी पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसके बाद ही और क्षेत्र में अन्य कानूनों और नियमों का पालन किया जा रहा है कि इन चीनी कारखानों के कार्यशील होने का कोई सवाल पैदा होता है। वर्तमान में, अधिकारियों द्वारा हलफनामे में लिए गए रुख की आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रतिवादी संख्या 6 निर्माण और विकास करता है, तो यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त प्रतिवादी को प्रदूषण विरोधी सहित सभी कानूनों का पालन करना होगा।

पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी।

9. ऐसी परिस्थितियों में याचिकाओं को लंबित रखने की आवश्यकता नहीं है।

फिर से कोई अन्य पार्टी "। 6. चीनी उद्योग को उद्योगों की सूची से हटा दिया गया था

उद्योगों के प्रावधानों के तहत अनिवार्य लाइसेंस देना

पलायन और विनियमन) अधिनियम, 1951 31.08.1998 पर। हालांकि, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 19554 की धारा 3 के तहत जारी नियंत्रण आर द्वारा प्रदान की गई न्यूनतम दूरी 15 किलोमीटर है।

के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए जारी रखने के लिए

कारखाने।

7. नियंत्रण आदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था

1955 अधिनियम की धारा 3 के तहत गलती की गई। कुछ प्रासंगिक

10.11.2006 पर किए गए संशोधनों को इस प्रकार पढ़ा जाता है:

“ 6 ए. दो चीनी कारखानों की स्थापना पर प्रतिबंध

15 किलोमीटर की त्रिज्या

खंड 6 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई नया नहीं

चीनी कारखाना किसी भी क्षेत्र के 15 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किया जाएगा। किसी राज्य में मौजूदा चीनी कारखाना या कोई अन्य नया चीनी कारखाना या

दो या अधिक राज्यः

बशर्ते कि राज्य सरकार पूर्व अनुमोदन के साथ

केंद्र सरकार की जहां वह आवश्यक समझती है और

लोक हित में इस तरह की न्यूनतम दूरी को अधिसूचित करें

15 किलोमीटर से अधिक या अलग-अलग न्यूनतम दूरी 15 किलोमीटर से कम नहीं

अपने-अपने राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

व्याख्या 4: प्रभावी कदमों का अर्थ होगा निम्नलिखित कदम

औद्योगिक की तुलना में लागू करने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा लिया गया

चीनी कारखाने की स्थापना के लिए उद्यमी ज्ञापनः

( क) कारखाने के नाम पर आवश्यक भूमि की खरीद। ( ख) संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए फर्म ऑर्डर देना।

कारखाने के लिए और भुगतान के लिए आवश्यक अग्रिम और खोलने के लिए

आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपरिवर्तनीय ऋण पत्र।

€ सिविल कार्यों की शुरुआत और भवनों का निर्माण

कारखाना।

अधिनियम एम. आई. समर्थ सागर और कृषि उद्योग V. लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

( घ) बैंक या वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित सावधि ऋणों की मंजूरी। संस्थान € (ई) केंद्र द्वारा निर्धारित कोई अन्य कदम

एक अधिसूचना के माध्यम से इस संबंध में सरकार।

XXX

XXX

XXX

6 सी. औद्योगिक उद्यमी को लागू करने के लिए समय सीमा

ज्ञापन

और वाणिज्यिक उत्पादन चार वर्षों के भीतर शुरू हो जाएगा औद्योगिक उद्यमी के दाखिल करने की तारीख से प्रभाव

केंद्र सरकार के साथ ज्ञापन, जिसमें विफल रहने पर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

जहाँ तक इस आदेश के प्रावधानों का संबंध है और

संबंधित राज्य की सिफारिश पर वितरण सरकार एक वर्ष का विस्तार दे सकती है जो छह वर्ष से अधिक न हो।

एक समय में महीने, औद्योगिक उद्यमी को लागू करने के लिए

ज्ञापन और वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत वहाँ से।

6 डी. प्रावधान को लागू न करने के परिणाम

खंड 6 बी और 6 सी में निर्धारित किया गया है:

यदि एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन बचा रहता है

इसके कार्यान्वयन के लिए दी गई निष्पादन गारंटी होगी - संबंधित व्यक्ति को उचित अधिकार देने के बाद जब्त कर लिया गया

सुनने का अवसर "। 8. महाराष्ट्र सरकार, केंद्र की मंजूरी के बाद

आरएनमेंट, 03.12.2011 पर निर्देशित है कि खंड के परंतुक के संदर्भ में

10 25 किलोमीटर के दायरे में नई चीनी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी।

मौजूदा चीनी कारखाना या कोई अन्य नया कारखाना।

9. 24.08.2016 पर, नियंत्रण आदेश में संशोधन किया गया था, जब खंड

खंड 6 डी के बाद प्रतिस्थापित और एक परंतुक जोड़ा गया था। इस तरह

डिमेंट इस प्रकार पढ़ता है:

" 6 सी. औद्योगिक उद्यमी को लागू करने के लिए समय सीमा

ज्ञापन-प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्धारित समय [2022] 17 एस. सी. आर.

तीन साल का होगा और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

औद्योगिक दाखिल करने की तारीख से प्रभावी पांच वर्षों के भीतर

केंद्र सरकार के साथ उद्यमी ज्ञापन, विफल

जहाँ तक इस आदेश के प्रावधानों का संबंध है, और निष्पादन गारंटी जब्त कर ली जाएगीः

बशर्ते कि मुख्य निदेशक (चीनी), विभाग

और सार्वजनिक वितरण, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद, अधिकतम दो वर्ष का विस्तार दें, जो एक वर्ष से अधिक न हो।

एक वर्ष में, नियंत्रण से परे किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण देरी से जुड़े मामलों में, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएँ, सूखा

या बंद मौसम के दौरान गन्ने (कच्चा माल) की अनुपलब्धता

सरकारें, यदि आवश्यक हो, या तो प्रभावी कदम उठाने के लिए या चीनी उत्पादन की शुरुआत।

XXX

XXX

XXX

6 डी.

बशर्ते कि प्रदर्शन गारंटी वापस कर दी जाएगी यदि

( i) वाणिज्यिक उत्पादन के भीतर शुरू किया जाता है

दो वर्ष सहित सात वर्ष की निर्धारित अवधि

विस्तार;

( (ii) उसके बाद भी व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं किया जाता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिम्मेदार नहीं बताए गए कारणों के लिए सात वर्ष

और यह पूरी तरह से योग्यता के आधार पर स्थापित है और इसमें दर्ज किया जाता है लिखना;

( iii) परियोजना प्रस्तावक सुओमोटु, अपने औद्योगिक को छोड़ने का विकल्प चुनता है।

की तारीख से दो साल के भीतर उद्यमी ज्ञापन

इसकी फाइलिंग और प्रदर्शन गारंटी की वापसी के लिए अनुरोध

उचित औचित्य "।

10. नियंत्रण आदेश को बाद में 12.08.2018 पर संशोधित किया गया था,

खंड 6 सी को प्रतिस्थापित करना जो इस प्रकार है:

एम. आई. समर्थ सागर और कृषि उद्योग बनाम। लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

ज्ञापन ( 1 ) खंड 6 ए के स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्धारित समय तीन साल का होगा और चीनी का वाणिज्यिक उत्पादन खंड 6 बी के उपखंड (1) के तहत केंद्र सरकार के साथ औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने की तारीख से पांच साल के भीतर शुरू हो जाएगा, जिसमें विफल रहने पर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन कायम रहेगा।

प्रतिवादी-जिसे उसके उपखंड (2) में दिए गए प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है, और उसके तहत दी गई निष्पादन गारंटी जब्त कर ली जाएगीः

( 2 ) उपखंड (1) के तहत निर्दिष्ट समय सीमा को निम्नलिखित तरीके से बढ़ाया जा सकता है, अर्थात्ः

( क) जहाँ देरी किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण होती है जो संबंधित व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर है जैसे कि प्राकृतिक आपदाएँ।

जिसमें सूखा, उस वर्ष में बंद मौसम के दौरान गन्ने (कच्चा माल) की अनुपलब्धता शामिल है जिसमें निर्धारित अवधि

चीनी क्षेत्रों को समाप्त और गैर-वित्तपोषित करने के बाद, मुख्य निदेशक (चीनी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

उपखंड (1) के तहत निर्धारित पांच साल की अवधि की समाप्ति उपखंड (1) के तहत निर्धारित अवधि को दो साल की और अवधि के लिए बढ़ा देती है, जो एक बार में एक साल से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि ऐसा विस्तार लेने के लिए दिया जा सकता है

यदि आवश्यक समझा जाए तो संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से चीनी का प्रभावी कदम या वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए।

खंड 6 ख के उपखंड (2) के तहत दी गई गारंटी होगी - खो दिया;

( ख) जहां भूमि उपयोग, पर्यावरण या ऐसे अन्य कारणों से संबंधित किसी अदालती मामले के कारण देरी हो रही है, जो औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने की तारीख से पांच साल के भीतर उत्पन्न हो सकती है, वहां मुख्य निदेशक (चीनी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद हो सकता है।

उपखंड (1) के तहत निर्धारित, [2022] 17 एस. सी. आर. के तहत निर्धारित अवधि का विस्तार करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपखंड (1) प्रारंभ में दो वर्ष की और अवधि के लिए, नहीं

एक बार में एक वर्ष से अधिक;

बशर्ते कि ऐसा विस्तार प्रभावी कदम उठाने या चीनी का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए, संबंधित राज्य सरकार और राज्य सरकार के परामर्श से दिया जा सकता है। कानून और न्याय मंत्रालय में कानूनी मामलों का विभाग,

यदि आवश्यक हो।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस तरह के विस्तार को आगे बढ़ा सकता है। अवधि, जैसा कि वह उचित समझता है, एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं, प्रत्येक वर्ष के लिए पचास लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन, जिसके लिए विस्तार की मांग की जाती है, जो निम्नलिखित होगीः

उपखंड (2) के तहत दी गई बैंक गारंटी के अतिरिक्त

खंड 6 ख;

बशर्ते कि ऐसा विस्तार प्रभावी कदम उठाने या चीनी का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए, संबंधित राज्य सरकार और राज्य सरकार के परामर्श से दिया जा सकता है।

कानून और न्याय मंत्रालय में कानूनी मामलों का विभाग, यदि आवश्यक माना जाता है;

बशर्ते कि यदि वाणिज्यिक उत्पादन नहीं होता है

एक वर्ष की ऐसी किसी भी विस्तारित अवधि के भीतर शुरू होने पर, उस एक वर्ष के विस्तार के लिए इस तरह से प्रस्तुत पचास लाख रुपये की ऐसी बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और यदि ऐसी किसी विस्तारित अवधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं होता है, तो उप-खंड 6 बी के तहत दी गई बैंक गारंटी भी जब्त कर ली जाएगी।

11. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के आदेश के 14.04.2014 पर अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की कि यदि अपीलार्थी (प्रतिवादी)

रिट याचिका में) निर्माण करना चाहता है और

अन्यथा, तब अपीलार्थी को सभी कानूनों, प्रदूषण विरोधी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी का पालन करना होगा, लेकिन

वारी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम ने इनकार कर दिया

22.04.2014 पर अनापत्ति प्रमाणपत्र।

12. इसलिए, अपीलार्थी ने समय बढ़ाने और एक ही तालुका और ग्राम स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योगों के एक ही समूह के भीतर स्थान के लिए आवेदन किया।

लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

पंचायत क्योंकि पहले कोई विकास क्षेत्र नहीं था, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 27.01.2014 के आदेश में उल्लेख किया है कि प्रस्तावित चीनी कारखाना नदी के किनारे से 500 मीटर के दायरे में आता है। इस तरह का अनुरोध उच्च न्यायालय के दिनांक 27.1.2014 के आदेश के तुरंत बाद 16.06.2014 पर प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर स्थान परिवर्तन की मांग कीः

" 6. ..... मेरा कहना है कि अब G.M.I.D.C. ने जारी करने से इनकार कर दिया है।

एन. ओ. सी. ने अन्य भूमि की खोज के लिए कदम उठाने के लिए अब इस पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले के आई. ई. एम. के अनुसार और हवाई दूरी के भीतर स्थान

प्रमाणपत्र और इसलिए दूसरी भूमि की खोज करने के लिए जो

सभी शर्तों का अनुपालन करता है और इस अधोहस्ताक्षर के लिए और अधिक की आवश्यकता होती है समय और इसलिए ,
गन्ने के अनुसार निर्धारित समय

बैंक गारंटी की वैधता के लिए सभी कानूनी कार्यवाही पर खर्च किया गया सभी कानूनी कार्यवाही पर खर्च किए गए समय पर भी विचार करते हुए

बैंक गारंटी की वैधता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

7. मैं आगे कहता हूं कि प्रस्तावित स्थान सभी मानदंडों का पालन करता है

भारत के सर्वेक्षण के साथ-साथ निर्धारित सभी हवाई दूरी

जी. एन. आई. डी. सी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक जारी करने में समय लग सकता है।

अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र यही कारण है, समय है

आई. ई. एम. के अनुसार चीनी कारखाने की स्थापना के लिए विस्तार की आवश्यकता है।

13. जबकि मामला राज्य/केंद्र के पास लंबित था

आई. ई. एम. के संशोधन और विस्तार के लिए सरकार, पहली रिट याचिका 2017 में दायर की गई थी, जब अपीलकर्ता ने प्रस्तावित स्थान की हवाई दूरी को मापने के लिए राज्य प्राधिकरणों से संपर्क किया था (2017 की रिट याचिका संख्या 13836)। दूसरी रिट याचिका हवाई दूरी के बाद मौजूदा चीनी कारखाने द्वारा 26.2.2018 पर या उसके आसपास दायर की गई थी।

अपीलार्थी को प्रमाण पत्र जारी किया गया था और महाराष्ट्र राज्य द्वारा अनुदान की सिफारिश करते हुए संघ को 02.01.2018 दिनांकित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

विस्तार और स्थान परिवर्तन। अपीलार्थी द्वारा विस्तार और स्थान परिवर्तन की मांग के जवाब में राज्य ने केंद्र सरकार को अपनी टिप्पणियों में कहाः

" 1. आई. ई. एम. का विस्तार

XXX

XXX

XXX

हाल ही में श्री एकनाथ भानुदास बर्ज एंड ओआरएस ने रिट याचिका दायर की है। नहीं। 13836/2017 माननीय उच्च न्यायालय की पीठ [2022] 17 एस. सी. आर. में <आई. डी. 1.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्थान के संबंध में औरंगाबाद। इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है

मुकदमेबाजी की मध्यवर्ती अवधि पर विचार करते हुए आई. ई. एम. का विस्तार। 2. स्थान में परिवर्तन

XXX

XXX

XXX

15 सितंबर, 2015 के आपके कार्यालय पत्र के अनुसार, यह

कार्यालय ने 17 अक्टूबर के पत्र के माध्यम से भारतीय सर्वेक्षण को सूचित किया है

2015 स्थान के लिए हवाई/पुनर्निर्धारित दूरी को मापने के लिए

मालेवाड़ी दुमाला, ताल। मेसर्स स्वामी का नेवासा, जिला अहमदनगर

समर्थ शुगर एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सर्वे ऑफ इंडिया ने

प्रस्तावित चीनी के स्तंभों के बीच हवाई दूरी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

मौजूदा चीनी कारखानों के कारखाने और चिमनी दिनांकित पत्र के माध्यम से

संदर्भ। इस संबंध में एक रिट याचिका सं. 13836/2017 दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के समक्ष 27.11.2017 पर।

स्थान परिवर्तन के संबंध में कारखाने का अनुरोध विधिवत हो सकता है अपने स्तर पर विचार करें। "

14. भारत सरकार ने 14.11.2018 पर विचार करने के बाद

राज्य सरकार के दिनांक 2.1.2018 ने विस्तार की अनुमति दी

निम्नलिखित के रूप में कार्य कर रहा हैः

इंडस्ट्रीज लिमिटेड (मेसर्स. एसएसएसएआईएल) को नए के रूप में दर्ज किया गया था चीनी कारखाना, जैसा कि खंड 6 ए के स्पष्टीकरण 2 में दिया गया है।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966, दिनांक 14.11.2018 के आदेश के अनुसार

आई. ई. एम. सं. 3033/एस. आई. ए./आई. एम. ओ. 2010 दिनांक 08.09.2010 का संदर्भ

वारखेड़ (रामदोह) ताल में नई चीनी मिल की स्थापना।

नेवासा, जिला। अहमदनगर, महाराष्ट्र।

5. एम/एस। एसएसएआईएल ने उनके दिनांकित 04.01.2018 और 06.11.2018 वाले पत्रों का वीडियो बनाया। उन्होंने उल्लेख किया है कि वे प्रभावी कदम नहीं उठा सके, मुख्य रूप से,

अदालती मामलों की संलिप्तता, गंभीर सूखे की स्थिति और परियोजना के वित्तपोषण के लिए बैंक/वित्तीय संस्थानों की अनिच्छा।

देरी परियोजना प्रस्तावक के नियंत्रण से परे दिखाई देती है।

6. इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य के चीनी आयुक्त ने उनके वीडियो

वारखेड़ (रामदोह), ताल में नई चीनी मिल की स्थापना। नेवासा, जिला।

अहमदनगर, महाराष्ट्र "। स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योग बनाम। लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

15. आगे के विस्तार इसी तरह की पृष्ठभूमि में दिए गए थे

15.11.2018 , 12.04.2019 और 09.05.2019। अपीलार्थी ने 09.09.2019 पर Rs.50,00,000/- और Rs.37,30,000/- की बैंक गारंटी प्रस्तुत की।

रिट याचिका में कहा गया है कि उक्त मौजूदा चीनी कारखाने का संचालन क्षेत्र नेवासा तालुका के 92 गाँव और शेवगांव तालुका के 122 गाँव हैं। अपीलार्थी की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में, यह अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि मौजूदा चीनी कारखाना अपनी इसके भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में एकाधिकार जबकि उक्त क्षेत्र में पर्याप्त गन्ना उपलब्ध है। मौजूदा चीनी कारखाने इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले पूरे गन्ने की कटाई करने की स्थिति में नहीं हैं, जिसके कारण असहाय किसान अपने गन्ने की कटाई के लिए जिले के अन्य चीनी कारखानों से संपर्क करने के लिए मजबूर हैं। मौजूदा चीनी कारखाने ने 2009 की रिट याचिका संख्या 3063 दायर करके तालुका शेवगांव में गंगामई इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की स्थापना का भी विरोध किया था। रिट याचिका 16.11.2009 पर खारिज कर दी गई थी। यह भी बताया गया कि जयकवाड़ी प्रमुख सिंचाई परियोजना के अप्रवाही जल को देखते हुए बड़े क्षेत्र में गन्ने की खेती की जा रही है और एक इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है।

17. उच्च न्यायालय ने पक्षों की संबंधित दलीलों पर विचार करने पर पाया कि इसमें शामिल मुद्दा नियंत्रण आदेश के खंड 6 सी की व्याख्या थी। यह देखा गया कि इसके बाद

वर्ष 2011 में राज्य द्वारा नियंत्रण आदेश में संशोधन, नए चीनी कारखाने और मौजूदा चीनी कारखाने के बीच न्यूनतम हवाई दूरी 25 किलोमीटर है, क्योंकि चीनी कारखानों का समूह एक दूसरे के पास है।

एक व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं होगा और इसके अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है

मौजूदा चीनी कारखाना। इसलिए, यदि वर्ष 2010 में जारी आई. ई. एम. की शर्तों पर एक नए चीनी कारखाने को स्थापित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह मौजूदा चीनी कारखाने को अव्यवहारिक बना देगा और दोनों चीनी कारखाने जीवित रहने की स्थिति में नहीं होंगे।

2 ] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलार्थी ने तारीख से दो साल की अवधि के भीतर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया था

वर्ष 2006 में नियंत्रण आदेश में संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव वर्तमान आई. ई. एम. पर लागू नहीं होगा जो उक्त संशोधन से पहले मान्यता प्राप्त था। 19. उच्च न्यायालय ने पाया कि आई. ई. एम. पर कोई रोक नहीं थी, न ही प्रभावी कदम उठाने पर कोई प्रतिबंध था, इसलिए,

अपीलार्थी को मुकदमे के पहले दौर में न्यायालय के आदेशों के कारण कदम उठाने से नहीं रोका गया था। दूसरी ओर, दूसरे दौर में, उच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा चीनी कारखाने द्वारा दायर एक आवेदन पर 27.03.2018 पर एक आदेश पारित किया गया था कि अपीलार्थी ने निर्माण गतिविधि शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि आगे निर्माण किया जाता है, तो यह अपीलार्थी के जोखिम में होगा और रिट याचिका के निर्णय के अधीन होगा और यह कि निर्माण किए जाने की स्थिति में अपीलार्थी किसी भी इक्विटी का हकदार नहीं होगा, और न ही आई. ई. एम. के विस्तार के लिए कोई इक्विटी इस आधार पर ले सकता है कि -

निर्माण कार्य चल रहा है। 10.04.2018 पर, एक आदेश पारित किया गया था कि 27.03.2018 पर पारित पूर्व आदेश अपीलार्थी (प्रतिवादी) द्वारा किए जाने वाले किसी भी निर्माण का ध्यान रखेगा।

5 एयर 2007 एससी 1619 स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योग बनाम। लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

सं. 6 रिट याचिका में)। इसलिए, अपीलार्थी खरीदी गई भूमि और निर्माण पर किए गए निवेश का लाभ नहीं उठा सका।

शुरू किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि नवंबर 2018 तक, अपीलार्थी ने स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है और अपीलार्थी के इस रुख पर विचार नहीं किया जा सकता है कि उसने निर्माण गतिविधि में निवेश किया था, क्योंकि नियमों और क़ानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विस्तार दिया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि संशोधन के अनुसार, नई चीनी फैक्ट्री कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।

20. इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के साथ, जिन प्रश्नों की जांच की जानी चाहिए, वे इस प्रकार हैं:

चाहे उसके विरुद्ध किसी अंतरिम आदेश के अभाव में

( 1 )

मुकदमे के पहले दौर में अपीलार्थी, जिस अवधि के दौरान रिट याचिकाएं लंबित थीं, उसे बाहर किया जा सकता है? वैकल्पिक रूप से, क्या राज्य/केंद्र सरकार विस्तार देते समय ऐसी अवधि को बाहर रखने में उचित थी

आई. ई. एम. से।

( (ख)

क्या अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई सूची पर्याप्त है

इस तरह के मुकदमे में खर्च की गई अवधि को बाहर करने का कारण और राज्य/केंद्र सरकार के लिए एक उचित आधार था

आई. ई. एम. का विस्तार करना।

क्या परंतुक के संदर्भ में संशोधित नियंत्रण आदेश

( iii)

03.12.2011 पर महाराष्ट्र राज्य द्वारा संशोधित खंड 6C तब लागू होगा जब उच्च न्यायालय ने पहले की रिट याचिका में कहा है कि हवाई दूरी प्रमाण पत्र के मुद्दे को फिर से नहीं खोला जा सकता है।
अपीलार्थी या कोई अन्य पक्ष फिर से। उल्लेखनीय है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था, तब संशोधित नियंत्रण आदेश लागू था। अतः उक्त आदेश का क्या प्रभाव पड़ता है?

क्या आई. ई. एम. पक्ष की विफलता पर समाप्त हो जाता है

( (iv)

उद्यमी का चीनी कारखाना स्थापित करना और खंड 6 सी में निर्दिष्ट समय के भीतर उत्पादन शुरू करना या ऐसी समाप्ति खंड 6 डी के संदर्भ में आदेश के बाद ही होगी।

नियंत्रण आदेश पारित किया गया है?

21. निर्विवाद तथ्य यह है कि 08.09.2010 पर आई. ई. एम. की स्वीकृति के तुरंत बाद 23.09.2010 पर एक रिट याचिका दायर की गई थी।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई अंतरिम आदेश नहीं था, लेकिन तथ्य यह है कि हवाई दूरी के आधार पर आई. ई. एम. की वैधता विवादित थी। हवाई दूरी प्रमाणपत्र के अनुदान के खिलाफ दायर रिट याचिका को 27.01.2014 पर खारिज कर दिया गया और उसके बाद अपीलकर्ता ने 2010-2014 से मुकदमे को देखते हुए IEM के कार्यान्वयन के लिए 16.06.2014 पर समय बढ़ाने की मांग की। 22. नियंत्रण आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि शुरू में वर्ष 2006 में संशोधित नियंत्रण आदेश के अनुसार, इसके लिए समय सीमा

आई. ई. एम. का कार्यान्वयन 2 + 4 वर्ष का था और आई. ई. एम. के कार्यान्वयन की अवधि बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट खंड नहीं था।

किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण देरी। दिनांक 24.08.2016 के नियंत्रण आदेश में बाद के संशोधन ने अवधि बढ़ा दी

हालांकि, खंड 6 सी (2) (बी) में प्रावधान किया गया है कि जहां भूमि उपयोग, पर्यावरण या "ऐसे अन्य कारण" से संबंधित किसी भी अदालती मामले के कारण देरी हुई थी, जो आई. ई. एम. दाखिल करने की तारीख से पांच साल के भीतर उत्पन्न हो सकती है, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय शुरू में उप-खंड (1) के तहत निर्धारित अवधि को दो साल की और अवधि के लिए बढ़ा सकता है जो एक बार में एक साल से अधिक नहीं होगी। खंड 6 सी (सी) में प्रावधान किया गया है कि जहां भूमि उपयोग, पर्यावरण या ऐसे अन्य कारण से संबंधित अदालती मामले में देरी खंड (बी) के तहत बढ़ाई गई अवधि से आगे जारी रहती है, वहां उपभोक्ता कार्य मंत्रालय विस्तार या ऐसी अवधि दे सकता है जो उचित समझे, एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं, लेकिन रुपये की बैंक गारंटी देने के अधीन। 50 नियंत्रण आदेश के खंड 6 बी के उपखंड (2) के तहत दी गई बैंक गारंटी के अलावा, प्रत्येक वर्ष के लिए लाख, जिसके लिए विस्तार की मांग की जाती है। ऐसी बैंक गारंटी उत्तरदायी है - ज़ब्त करना लेकिन केवल नियंत्रण आदेश के खंड 6 डी के संदर्भ में।

23. इस निर्विवाद तथ्यात्मक और कानूनी पृष्ठभूमि के साथ, पहले तीन प्रश्न, जो परस्पर संबंधित हैं, पहले चर्चा के लिए लिए जाते हैं। लैटिन उक्ति 'एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट' अर्थात, न्यायालय का कार्य किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखेगा, यह सर्वविदित है, लेकिन स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योग बनाम की प्रयोज्यता।

लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

वर्तमान परिस्थितियों के तथ्यों की भी जांच की जानी चाहिए। हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने नियंत्रण आदेश के खंड 6 ए के स्पष्टीकरण 4 के तहत विचार किए जाने तक कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया। एरियल दूरी एक वैध आई. ई. एम. के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। इस न्यायालय ने दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में कहा। एम. पी. और अन्य राज्य ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय के कार्य के कारण हुई चोट, यदि कोई हो, को पूर्ववत किया जाएगा और पक्षकार को जो लाभ प्राप्त होता, जब तक कि उसे न्यायालय के आदेश द्वारा बाधित नहीं किया जाता, उसे पक्षकार को उचित रूप से बहाल किया जाएगा या प्रदान किया जाएगा। ऐसा करने के लिए उत्तरदायी पक्ष को आदेश देना। न्यायालय ने देखा कि मुकदमा एक फलदायी उद्योग में बदल सकता है। हालाँकि मुकदमेबाजी जुआ नहीं है, फिर भी हर मुकदमे में संयोग का एक तत्व होता है। बेईमान वादी अदालतों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित महसूस कर सकते हैं, अदालत को प्रथम दृष्टया मामला बनाकर उनके पक्ष में अंतर्वर्ती आदेश पारित करने के लिए राजी कर सकते हैं जब मुद्दों की सुनवाई और गुण-दोष के आधार पर निर्धारित किया जाना बाकी है और यदि बहाली की अवधारणा को आवेदन से बाहर रखा गया है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 28. यह कि अदालत के किसी कार्य से कोई भी पीड़ित नहीं होगा, यह एक नियम नहीं है जो अदालत के गलत कार्य तक सीमित है; "अदालत का कार्य" अपने दायरे में ऐसे सभी कार्यों को शामिल करता है जिनके बारे में अदालत

किसी भी कानूनी कार्यवाही में यह राय बनाई जा सकती है कि अदालत ने इस तरह से कार्रवाई नहीं की होती अगर उसे तथ्यों और कानून के बारे में सही ढंग से अवगत कराया जाता। प्रतिपूर्ति की प्रयोज्यता को आकर्षित करने वाला कारक अदालत का गलत कार्य या अदालत द्वारा की गई गलती या त्रुटि नहीं है; परीक्षण यह है कि क्या पक्ष के किसी कार्य के कारण अदालत को अंत में आयोजित आदेश पारित करने के लिए राजी किया गया है।

स्थायी, जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष को एक लाभ प्राप्त हुआ है जो उसने अन्यथा अर्जित नहीं किया होगा, या दूसरे पक्ष को एक ऐसी गरीबी का सामना करना पड़ा है जिसे उसे अदालत के आदेश और ऐसे पक्ष के कार्य के अलावा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। की मात्रा

प्रतिपूर्ति, किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, न केवल इस बात को ध्यान में रख सकती है कि पक्ष ने क्या किया होगा, बल्कि यह भी कि दायित्व के तहत पक्ष ने क्या किया है या उचित रूप से क्या किया होगा। पक्षकारों द्वारा उसी पद पर रखे जाने की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है जिसमें वे होते यदि अदालत ने अपने अंतरिम आदेश द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया होता जब कार्यवाही के अंत में अदालत अपना न्यायिक फैसला सुनाती है।

फैसला जो अपने स्वयं के अंतरिम फैसले से मेल नहीं खाता है और स्वीकार करता है

फैसला. जब भी न्यायनिर्णयन के लिए बुलाया जाता, अदालत कार्रवाई करती। वास्तविक और पर्याप्त न्याय के संयोजन में। चोट लगी है,

जिसे पार्टी ने तब तक कमाया होगा जब तक कि इसे इसके द्वारा बाधित नहीं किया गया था न्यायालय के आदेश को बहाल किया जाएगा या उसे प्रदान किया जाएगा

ऐसा करने के लिए उत्तरदायी पक्ष को उचित रूप से आदेश देकर। कोई राय।

इसके विपरीत विनाशकारी नहीं तो अन्याय की ओर ले जाएगा

परिणाम। मुकदमेबाजी एक फलदायी उद्योग में बदल सकती है।

हालाँकि मुकदमेबाजी जुआ नहीं है, फिर भी इसका एक तत्व है

हर मुकदमे में मौका। बेईमान वादी महसूस कर सकते हैं

अदालतों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया, अदालत को राजी किया

उनके लिए अनुकूल अंतर्वर्ती आदेश पारित करें

एक प्रथम दृष्टया मामला जब मुद्दों की सुनवाई होनी बाकी है और

योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाता है और यदि पुनर्स्थापन की अवधारणा है अंतरिम आदेशों के लिए आवेदन से बाहर रखा गया, फिर वादी

मिलने वाले लाभों को निगलने से लाभ होगा अंतरिम आदेश का भले ही लड़ाई हार गई हो

अंत। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम हैं

राय है कि सफल पक्ष अंततः राहत का हकदार था

मुकदमे के अंत में धन के संदर्भ में आकलन योग्य, हकदार है

उचित दर पर ब्याज देकर क्षतिपूर्ति की जाए। उस अवधि के लिए दर जिसके लिए न्यायालय का अंतरिम आदेश

पैसे की रिहाई को रोकना जारी था "।

( जोर दिया गया)

24. वर्तमान अपील में, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा शुरू की गई याचिका

पहला दौर जुआ से कम नहीं था ताकि प्रक्रिया को बाधित किया जा सके। संयंत्र को चालू करना। अपीलार्थी दाखिल की गई रिट याचिकाओं को प्राप्त करने के अंत में था और इस तरह के मुकदमे के प्राप्त करने के अंत में था और इस तरह के मुकदमे में बिताई गई अवधि का उपयोग अपीलार्थी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है।

25. एक अन्य निर्णय में बेग राज सिंह बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। की स्थिति

यू. पी. और अन्य, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुकदमे का सामान्य नियम यह है कि पक्षकारों के अधिकार मुकदमे की शुरुआत की तारीख को स्पष्ट हो जाते हैं और राहत के अधिकार का निर्णय उस तारीख के संदर्भ में किया जाएगा जिस दिन याचिकाकर्ता ने न्यायालय के पोर्टल में प्रवेश किया था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें अपीलार्थी को एक वर्ष की अवधि के लिए रेत खनन पट्टा दिया गया था, लेकिन पट्टा की अवधि समाप्त होने से पहले, अपीलार्थी ने दो वर्ष की और अवधि के लिए पट्टा के नवीनीकरण की मांग की। इसके आसपास

( 2003 ) 1 एस. सी. सी. 726 एम. आई. समर्थ सागर और कृषि उद्योग बनाम। लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]जब अपीलार्थी को दो साल के विस्तार की अनुमति दी गई, तो सरकार ने रेत खनन की नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया था। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ राज्य के विद्वान वकील और निजी प्रतिवादी को सुनने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए। मुकदमेबाजी का सामान्य नियम यह है कि मुकदमेबाजी शुरू होने की तारीख को पक्षों के अधिकार स्पष्ट हो जाते हैं और राहत के अधिकार का निर्णय उस तारीख के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिस दिन याचिकाकर्ता ने अदालत के पोर्टल में प्रवेश किया था। एक याचिकाकर्ता, हालांकि कानून में राहत का हकदार है, फिर भी बाद की या मध्यवर्ती घटनाओं यानी मुकदमे की शुरुआत और निर्णय की तारीख के बीच की घटनाओं के कारण इक्विटी में राहत से इनकार किया जा सकता है। से मिली राहत

जिसे याचिकाकर्ता का हकदार माना जाता है, हो सकता है कि समय के अंतराल से निरर्थक कर दिया गया हो या अक्षम कर दिया गया हो।

कानून में परिवर्तन द्वारा प्रदान किया जाना। हो सकता है कि अन्य

ऐसी परिस्थितियाँ जो याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं पर कोई राहत देने के लिए असमान बनाती हैं क्योंकि निर्णय की तारीख को इक्विटी के खिलाफ रखी गई असमानताओं को तौलने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ संतुलन झुक जाता है। हो सकता है कि तीसरे पक्ष के हित बनाए गए हों या दावेदार को राहत देने के परिणामस्वरूप बीच-बीच में होने वाली घटनाओं के कारण अन्यायपूर्ण संवर्धन हो सकता है। नहीं तो

केवल समय बर्बाद होने के कारण राहत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

न्यायिक या अर्ध-न्यायिक मंच में कार्यवाही करना और

याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है। एक वादी या याचिकाकर्ता को राहत के अधिकार का हकदार पाए जाने पर, अदालत एक सामान्य नियम के रूप में सफल पक्ष को उसी स्थिति में रखने का प्रयास करेगी जिसमें वह होता अगर उसके खिलाफ गलत शिकायत नहीं की जाती। वर्तमान में ऐसा ही एक मामला है। अंतिम निर्णय में देरी के लिए किसी भी तरह से अपीलार्थी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। नीलामी नहीं हुई है। कोई तीसरे पक्ष का हित नहीं रहा है। बनाया गया है। जिस अवधि के लिए संचालन की अवधि तीन साल से कम है, उस अवधि के लिए रेत की खदान अप्रचलित रही है। राज्य के आदेश के कारण ऑपरेशन को रोकना पड़ा

सरकार हस्तक्षेप करती है कि कौन सा आदेश खनन पट्टे में निहित शर्तों के अनुसार अस्थिर पाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी जी. ओ. के अनुरूप। बस।

क्योंकि राज्य द्वारा थोड़ा अधिक राजस्व अर्जित किया जा सकता है

सरकार जो [2022] 17 एस. सी. आर. को लागू नहीं करने का आधार नहीं हो सकती।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य सरकार का दायित्व जो उसने वहन किया है

अपने स्वयं के नीतिगत निर्णय के अनुसार।

निर्धारित स्थान और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए। रिट याचिकाएं चार साल की अवधि के लिए लंबित रहीं। इसलिए, ऐसी रिट याचिकाओं का बचाव करने में बिताई गई अवधि को वैध रूप से लिया गया था। नियंत्रण आदेश में निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने के लिए राज्य/केंद्र सरकार द्वारा विचार। भारत सरकार ने 14.11.2018 पर विस्तार दिया जब नियंत्रण आदेश में संशोधन किया गया

12.08.2018 कार्यात्मक और प्रभावी था। चूँकि नियंत्रण आदेश में किए गए संशोधन उद्यमियों के लाभ के लिए थे, इसलिए नियंत्रण आदेश जैसा कि विस्तार की तारीख पर मौजूद है, लागू होगा। यह ऐसे खंड के संदर्भ में है कि अपीलार्थी को रुपये की अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। 50 लाख। इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति 14.11.2018 पर संशोधित वैधानिक नियंत्रण आदेश के संदर्भ में है।

नदी के 500 मीटर के भीतर, जिसके लिए स्थान बदलने की आवश्यकता थी। हवाई दूरी प्रमाणपत्र को स्पष्ट रूप से चुनौती के लिए खुला नहीं घोषित किया गया था, भले ही राज्य ने मौजूदा चीनी कारखाने के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए 03.11.2011 पर नियंत्रण आदेश में संशोधन किया था और नए कारखाने को बढ़ाकर 25 किलोमीटर कर दिया गया। भले ही राज्य द्वारा नियंत्रण आदेश में पहले ही संशोधन किया जा चुका था, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि हवाई दूरी केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किए गए आई. ई. एम. की तारीख पर लागू होगी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योग V. लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

मुकदमे के पहले दौर में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई। इसलिए, यहां तक कि उच्च न्यायालय भी मुकदमे के दूसरे दौर में यह अभिनिर्धारित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं था कि संशोधित दूरी

नियम लागू होंगे।

28. इसके अलावा, राज्य सरकार ने 02.01.2018 पर विस्तार की सिफारिश करते हुए इस बात पर विवाद नहीं किया कि मौजूदा चीनी कारखाने और प्रस्तावित नए चीनी कारखाने के बीच हवाई दूरी 25 किलोमीटर से कम थी, और सही कारणों से। आई. ई. एम. में दी गई 08.09.2010 पर स्वीकार की गई शर्तें ही लागू होंगी, जिसे केंद्र सरकार ने 14.08.2018 पर बढ़ा दिया था। अपीलार्थी को दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड में पारित आदेश के संदर्भ में उस दिन के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जब एल. आई. एस. शुरू किया गया था, अपीलार्थी द्वारा नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा। प्रतिद्वंद्वी पक्षों के कहने पर मुकदमे का उपयोग अपीलार्थियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब वे मुकदमे के पहले दौर में काफी हद तक विफल रहे हों।

29. नियंत्रण आदेश की भाषा में बार-बार संशोधन किया गया है ताकि सक्षम प्राधिकारी "अप्रत्याशित परिस्थितियों" के कारण समय बढ़ाने में सक्षम हो सकें। 12.08.2018 पर संशोधित नियंत्रण आदेश में एक से अधिक अप्रत्याशित परिस्थितियों पर विचार किया गया है।

संबंधित व्यक्ति के नियंत्रण से परे। यह सक्षम प्राधिकारी को आई. ई. एम. की वैधता बढ़ाने का भी अधिकार देता है जहां भूमि उपयोग, पर्यावरण या "ऐसे अन्य कारण" से संबंधित किसी भी अदालती मामले के कारण देरी होती है। खंड 6 सी का उपखंड (सी) सक्षम प्राधिकारी को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन एक समय में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए और विस्तार देने का अधिकार देता है। इसलिए, उद्देश्य और उद्देश्य

इस तरह के संशोधित नियंत्रण आदेश में कहा गया है कि एक चीनी मिल को अदालती मामलों में बिताए गए समय को छोड़कर उत्पादन शुरू करना चाहिए। हालाँकि अपीलकर्ता आई. ई. एम. का बचावकर्ता था और मुकदमेबाजी के पहले दौर में कोई रोक नहीं थी, लेकिन दिया गया विस्तार "ऐसे अन्य कारण" की श्रेणी में आता है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में इस न्यायालय का निर्णय इस आशय का है कि किसी को भी न्यायालय के उस अधिनियम से नुकसान नहीं होगा जो अपने दायरे में ऐसे सभी कार्यों को शामिल करता है जिनके बारे में न्यायालय किसी भी कानूनी कार्यवाही में राय बना सकता है, लेकिन न्यायालय ने इस तरह से कार्रवाई नहीं की होती अगर उसे तथ्यों और कानून से सही ढंग से अवगत कराया जाता। मुकदमे के पहले दौर में, जिसे हवाई दूरी प्रमाणपत्र को चुनौती दी गई थी, रिट याचिकाकर्ता इस तरह की चुनौती में विफल रहे हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि अपीलार्थी को क्षेत्र में प्रदूषण विरोधी कानूनों और कानूनों [2022] 17 एस. सी. आर. का पालन करना आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित। इस तरह के आदेश ने अपीलार्थी को गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र से इनकार करने के मद्देनजर वैकल्पिक स्थान की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए, वर्ष 2010-2014 के लिए मुकदमेबाजी में बिताई गई अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से बाहर रखा गया है।

30. एक और सवाल जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या

राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार का निर्णय इतना मनमाना, तर्कहीन, अन्यायपूर्ण है जो रिट अधिकार क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप की गारंटी देता है। उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया है, बल्कि इस कारण से भी कि अपीलार्थी ने निर्धारित समय के भीतर आई. ई. एम. को लागू नहीं किया है। टाटा सेल्युलर बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ ने निम्नलिखित रूप में आयोजित किया हैः

सरकारी निकायों द्वारा संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग पर लागू मनमानेपन या पक्षपात को रोकने के लिए। लेकिन यह होना ही चाहिए।

स्पष्ट रूप से कहा जाए कि अभ्यास में अंतर्निहित सीमाएँ हैं

न्यायिक समीक्षा की वह शक्ति। सरकार संरक्षक है

राज्य की वित्तीय स्थिति। इससे वित्तीय सुरक्षा की उम्मीद है। राज्य का हित। सबसे कम या किसी अन्य को अस्वीकार करने का अधिकार

निविदा हमेशा सरकार के लिए उपलब्ध होती है। लेकिन, सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखा जाना चाहिए

निविदा स्वीकार करते या अस्वीकार करते समय। कोई सवाल नहीं हो सकता

यदि सरकार सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की कोशिश करती है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

व्यक्ति या सबसे अच्छा उद्धरण। चुनने का अधिकार नहीं हो सकता

उस शक्ति का प्रयोग किसी भी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किया जाता है गिरा दिया जाएगा।

XX

XX

XX

77. न्यायालय का कर्तव्य स्वयं को इस प्रश्न तक सीमित रखना है कि

वैधानिकता। इसकी चिंता इस प्रकार होनी चाहिएः

1. क्या कोई निर्णय लेने वाला प्राधिकारी अपनी शक्तियों को पार कर गया है?

2. कानून की गलती की,

3. प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया,

4. एक निर्णय पर पहुंचे जो किसी भी उचित न्यायाधिकरण के पास नहीं होगा पहुँच गया या,

8 ( 1994 ) 6 एस. सी. सी. 651 एम. आई. समर्थ सागर और कृषि उद्योग बनाम। लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

5. अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।

इसलिए, यह निर्धारित करना अदालत का काम नहीं है कि उस नीति की पूर्ति में लिया गया कोई विशेष नीति या विशेष निर्णय उचित है या नहीं। यह केवल उस तरीके से संबंधित है जिसमें वे निर्णय लिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य की सीमा अलग-अलग होगी

एक मामले से दूसरे मामले में। संक्षेप में, जिन आधारों पर एक प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रण के अधीन है, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैः ( (i) अवैधताः इसका मतलब है कि निर्णय लेने वाले को समझना चाहिए।

सही ढंग से वह कानून जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे प्रभावी बनाना चाहिए।

( (ii) अतार्किकता, अर्थात् वेड्सबरी अतार्किकता। ( (iii) प्रक्रियात्मक अनुचितता।

उपरोक्त केवल व्यापक आधार हैं लेकिन यह समय के साथ आगे के आधारों को जोड़ने से इनकार नहीं करता है। वास्तव में, आर. वी. में गृह विभाग के लिए राज्य सचिव, पूर्व

ब्रिंड [(1991) 1 एसी 696], लॉर्ड डिप्लॉक विशेष रूप से एक विकास को संदर्भित करता है, अर्थात्, आनुपातिकता के सिद्धांत की संभावित मान्यता। इन सभी मामलों में स्वीकार की जाने वाली कसौटी यह है कि अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कुछ गलत हुआ है।

प्रकृति और डिग्री जिसके लिए इसके हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

XX

XX

XX

94. उपरोक्त से जो सिद्धांत निकाले जा सकते हैं वे हैंः

( 1 ) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक मामलों में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है।

कार्रवाई।

( 2 )

न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, बल्कि केवल

निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा करें।

( 3 )

अदालत के पास सुधार करने की विशेषज्ञता नहीं है

प्रशासनिक निर्णय। यदि प्रशासनिक समीक्षा

निर्णय की अनुमति है यह अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, आवश्यक विशेषज्ञता के बिना जो अपने आप में दोषपूर्ण हो सकता है।

निविदा के निमंत्रण की शर्तें इसके लिए खुली नहीं हो सकती हैं -

( 4 )

न्यायिक जांच क्योंकि निविदा के लिए निमंत्रण में है

अनुबंध का क्षेत्र। आम तौर पर, स्वीकार करने का निर्णय

निविदा या पुरस्कार अनुबंध [2022] 17 एस. सी. आर. की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है।

कई स्तरों पर बातचीत। अधिक बार नहीं, इस तरह

निर्णय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक रूप से लिए जाते हैं।

( 5 )

सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अन्य में

शब्दों में, जोड़ों में एक निष्पक्ष खेल एक प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए एक आवश्यक संगत है। हालाँकि, निर्णय का परीक्षण न केवल वेड्सबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत (ऊपर बताए गए इसके अन्य तथ्यों सहित) के अनुप्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए, बल्कि पक्षपात से प्रभावित या दुर्भावना से प्रेरित मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए।

निर्णयों को रद्द करने से भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है

( 6 )

प्रशासन पर और बढ़े हुए और गैर-बजट के लिए नेतृत्व व्यय।

इन सिद्धांतों के आधार पर हम इस मामले के तथ्यों की जांच करेंगे क्योंकि वे हमें सही सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करते हैं।

31. उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय के किसी निष्कर्ष के अभाव में कि केंद्र सरकार का निर्णय इतना मनमाना, तर्कहीन या

अन्यायपूर्ण, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए गंभीर रूप से गलती की है कि अपीलार्थी मुकदमेबाजी के पहले दौर में रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान आई. ई. एम. को लागू नहीं कर रहा था।

32. हवाई दूरी प्रमाणपत्र जारी होने से पहले ही मुकदमे का दूसरा दौर शुरू हो गया था। अपीलार्थी फिर से बचावकर्ता था आई. ई. एम. जारी करना। उच्च न्यायालय ने पाया कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा किया गया संशोधन इस बात पर विचार करता है कि 25 किलोमीटर के दायरे में कोई चीनी कारखाना स्थापित नहीं किया जाएगा।

लागू होता है, हालांकि यह अपने दिनांक 02.11.2018 के संचार में राज्य का कथन या आपत्ति भी नहीं है। इसके अलावा, नियंत्रण आदेश की योजना से पता चलता है कि एक बार आई. ई. एम. दिए जाने के बाद, आई. ई. एम. जारी करने की तारीख को ध्यान में रखते हुए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इसलिए,

बाद का संशोधन नए चीनी कारखाने के संबंध में लागू होगा जिसे स्थापित करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। यह स्वीकार किया जाता है कि 2010 से इस अदालत के समक्ष अपील की सुनवाई तक, किसी अन्य

उद्यमी ने तालुका नेवासा और शेवगांव क्षेत्र में आई. ई. एम. के लिए आवेदन नहीं किया है। चूंकि किसी अन्य उद्यमी ने इस क्षेत्र में चीनी कारखाना स्थापित करने के लिए आई. ई. एम. के लिए आवेदन नहीं किया है, इसलिए मौजूदा चीनी कारखाने के लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि राज्य द्वारा संशोधित मानदंड

सरकार को लागू किया जाना चाहिए।

आई. ई. एम. स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योग v से समयरेखा तय करता है। लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

इसे जारी करने की तारीख और नियंत्रण आदेश में बाद के संशोधन में पहले से जारी आई. ई. एम. के प्रति कोई आवेदन नहीं होगा।

33. मौजूदा चीनी कारखाने की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चिदंबरम ने ओजस इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड के रूप में रिपोर्ट किए गए इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि गन्ने की उपलब्धता और मौजूदा और नए कारखाने की पेराई की क्षमता के संबंध में दूरी की अवधारणा का अत्यधिक महत्व है।

34. उक्त संदर्भित मामले में, यह न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य में कई चीनी मिलों द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार कर रहा था।

यह एक ऐसा मामला था जहां प्रतियोगिता को अवरुद्ध करने के लिए आई. ई. एम. का प्रसार विवाद का कारण था। अपीलार्थी द्वारा गाँव बैसागापुर, जिला में एक चीनी मिल की स्थापना के लिए आई. ई. एम. दायर किया गया। लखीमपुर को 13.05.2004 पर स्वीकार किया गया था, जबकि उक्त अपील में प्रतिवादी ने गाँव सैदपुर, खुर्द, जिला में एक चीनी मिल की स्थापना के लिए 17.05.2004 पर अपना आई. ई. एम. दायर किया था। लखीमपुर जो अपीलार्थी की प्रस्तावित चीनी मिल से 7.2 किलोमीटर की दूरी पर था। भारत सरकार ने अपीलार्थी द्वारा 30.06.2005 पर दायर आई. ई. एम. को मंजूरी दी थी, जबकि प्रत्यर्थी द्वारा दायर आई. ई. एम. को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें अपीलार्थी के पक्ष में अनुमोदित आई. ई. एम. और गाँव खंबरखेड़ा में एक चीनी मिल की स्थापना के लिए मैसर्स बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड के पक्ष में एक अन्य आई. ई. एम. को चुनौती दी गई। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 30. गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 6 में खंड 6-ए से 6-ई को सम्मिलित करता है। यह "दूरी" की अवधारणा को बरकरार रखता है। यह अवधारणा

" आर्थिक कारणों से दूरी बनाए रखनी होगी। यह अवधारणा मांग और आपूर्ति पर आधारित है। इस अवधारणा को बनाए रखना होगा क्योंकि संसाधन, अर्थात् गन्ना, सीमित है। गन्ना एक असीमित संसाधन नहीं है। "दूरी" का अर्थ है किसान द्वारा चीनी मिल को आपूर्ति की जाने वाली गन्ने की उपलब्ध मात्रा। दूसरी ओर, 1 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दाखिल करना केवल ईमानदारी के प्रमाण के रूप में है। एक उद्यमी जो वास्तव में चीनी मिल स्थापित करने में रुचि रखता है, उसे यह साबित करना होगा कि

1 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देकर वह ईमानदारी से काम करता है। इसके अलावा, बैंक गारंटी देना भी इस बात का प्रमाण है कि व्यवसायी के पास है

चीनी मिल (कारखाना) स्थापित करने की वित्तीय क्षमता। इसलिए बैंक गारंटी देने का दूरी से कोई लेना-देना नहीं है।

प्रमाण पत्र।

2 ] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

XXX

XXX

XXX

34. इस मुद्दे पर निष्कर्ष निकालने से पहले हम दोहरा सकते हैं कि

एक इकाई द्वारा संसाधनों का उपयोग और उपयोग अलग-अलग है।

दूरी की स्थिति से। "दूरी" की अवधारणा है

"इकाई की स्थापना" की अवधारणा से इस अर्थ में अलग है कि

एक इकाई की स्थापना व्यवसायी की मुख्य चिंता है जबकि

"दूरी" की अवधारणा एक आर्थिक अवधारणा है जिसे होना चाहिए

सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाता है क्योंकि यह सरकार है जिसे आर्थिक नीतियां बनानी होती हैं और जिन्हें अपनाना होता है

मांग और आपूर्ति जैसे लेखा कारक।

35. इस न्यायालय ने मैसर्स बलरामपुर चिनी द्वारा दायर आई. ई. एम. को मंजूरी दी।

कुंबी गाँव में मिल्स लिमिटेड ने अपने संयंत्र के लिए Rs.213 करोड़ का निवेश किया था। उक्त चीनी कारखाने ने भी रुपये का निवेश किया था। 152 गाँव गुलेरिया में करोड़। इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

" 37. हमारा विचार है कि कुंभी में दो परियोजनाओं में से और

गुलेरिया, बलरामपुर को इसके कारखाने के लिए मिलिंग की अनुमति दी जा सकती है। ( मिल) कुंभी में। अपने वर्तमान निर्णय में हमने यह विचार रखा है

कि गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 संचालित होता है पीछे की ओर। हमने यह भी विचार लिया है कि लागू करने में

प्रभावी कदम। उसी समय, हम पाते हैं कि के मामले में बलरामपुर ने कुंभी में काफी निवेश किया है। उनके

अवध द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित इकाइयों की तुलना में अनुमान बेहतर हैं।

इसके अलावा, गन्ना पेराई का मौसम 15-5-2007 पर समाप्त होता है, हम

वे नहीं चाहते कि गन्ना उत्पादकों को नुकसान हो। इसलिए, हम मिलिंग प्रदान करते हैं

केवल कुंभी परियोजना के लिए अनुमति। 2007 का आई. ए. नंबर 2 बनाया गया है। निरपेक्ष। हालांकि, गुलेरिया परियोजना द्वारा नियंत्रित किया जाएगा

इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांत, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

36. हम पाते हैं कि उक्त निर्णय केवल जांच करने के लिए प्रासंगिक है

सवाल यह है कि क्या नियंत्रण आदेश पूर्वव्यापी हैं या नहीं। बलरामपुर चीनी मिल्स को अनुमति देते समय दूरी के बारे में निष्कर्ष उस मामले के तथ्यों में है। वर्तमान अपील में, वर्ष 2010 में आई. ई. एम. को स्वीकार किए जाने के बाद, किसी अन्य उद्यमी ने इस क्षेत्र में आई. ई. एम. की मांग या अनुमति नहीं दी थी, सिवाय इसके कि मौजूदा चीनी कारखाने को अपनी पेराई क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।

37. उपरोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए,

नियंत्रण आदेश में बाद में किए गए संशोधन स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योग v.

लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

इसे पूर्वव्यापी के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि वे पहली बार कोई अधिकार नहीं बना रहे हैं। खंड 6 ए से 6 ई को 10.12.2006 पर संशोधन द्वारा प्रेस नोटों को प्रतिस्थापित करने के लिए जोड़ा गया था जो इस न्यायालय द्वारा संदेह के दायरे में पाए गए थे। आई. डी. 1 और आई. डी. 2 पर बाद के संशोधन भी प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित संशोधन होंगे और केंद्र सरकार द्वारा पहले जारी किए गए प्रेस नोटों के बदले में स्पष्टीकरणात्मक होंगे। इस तरह के संशोधन उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक थे जब आई. ई. एम. धारक अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण प्रभावी कदम उठाने में सक्षम नहीं होते हैं।

38. फैसले को बाबाजी कोंडाजी गरद बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। नासिक

मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक एंड अदर्स और धनंजय रेड्डी बनाम। कर्नाटक राज्य 1 पर बहस करने के लिए दबाव डाला गया था

कि जहाँ कानून किसी कार्य को करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करता है, उसे उसी के अनुसार किया जाना चाहिए, जब तक कि कोई विपरीत संकेत न हो। उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा इस पर विस्तार दिया गया है -

अपीलार्थी द्वारा सामना की जाने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की सिफारिश।

39. एक तर्क दिया गया है कि आई. ई. एम. की वैधता थी

15.11.2018,12.04.2019,09.05.2019,17.10.2019 और 18.02.2021 पर विस्तारित। आई. ई. एम. के इस तरह के बार-बार विस्तार से पता चलता है कि विस्तार पूर्व-आवश्यकता को पूरा किए बिना अनुरोध पर दिए गए थे। विस्तार की मांग करने के लिए शर्तें। हम इस तरह के तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। विस्तार तब दिया गया था जब मुकदमेबाजी का दूसरा दौर था

उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित होने के कारण अपीलार्थी प्रभावी कदम नहीं उठा सका। निम्नलिखित सारणीबद्ध चार्ट विस्तार की तारीख और विस्तार की अवधि दिखाएगा।

केंद्र सरकार के पत्र/तिथि की तिथि बढ़ाई गई

श्री. नहीं।

विस्तार का

1 .

07.09.2017

15.11.2018

07.09.2018

2 .

12.04.2019

3 .

07.09.2019

09.05.2019

17.10.2019

07.09.2020

4 .

07.09.2021

5 .

18.02.2021

9 (1984) 2 एससीसी 50

1 0 10 (2001) 4 एससीसी 9 [2022] 17 एस. सी. आर.

40. उपरोक्त तालिका के अवलोकन से पता चलेगा कि 15.11.2018 और 12.04.2019 पर दिए गए विस्तार उस अवधि के लिए थे जिसमें

पहले ही समाप्त हो चुका है। 09.05.2019 पर दिया गया विस्तार केवल 07.09.2019 यानी चार महीने से कम समय तक वैध था। सभी विस्तार तब दिए गए थे जब मामला अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था और रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन था। इसलिए, आई. ई. एम. के विस्तार के बार-बार अनुदान के बारे में आपत्तियां बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं।

और इसे अवैध, तर्कहीन या प्रक्रियात्मक रूप से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है अनुचितता। तदनुसार, प्रश्न संख्या के संबंध में। ( i), (ii) और (iii), हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष इस मामले में टिकाऊ नहीं हैं।

कानून।

42. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि खंड 6 सी इस बात पर विचार करता है कि यदि आई. ई. एम. के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो यह मान्यता से बाहर हो जाएगा और प्रदर्शन

गारंटी जब्त कर ली जाएगी। हालांकि, संबंधित व्यक्ति को उचित आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन गारंटी को जब्त किया जा सकता है। सुनने का अवसर। इसलिए, खंड सी में 'होगा' शब्द का उपयोग प्रावधान को अनिवार्य नहीं बनाता है, लेकिन सक्षम बनाता है

समय सीमा का पालन करने में विफलता पर बैंक गारंटी को जब्त करने का अधिकार। 43. रिट याचिकाओं के दूसरे दौर में, मौजूदा चीनी कारखाने द्वारा आपत्तियां उठाई गईं कि अपीलार्थी ने निर्माण शुरू कर दिया है।

इस तरह के निर्माण को इस आधार पर रोका गया था कि उठाए गए किसी भी निर्माण के आधार पर कोई इक्विटी नहीं होगी। चीनी कारखाने की स्थापना नहीं करने या मुकदमेबाजी के पहले दौर में निर्माण नहीं करने में अपीलार्थी के साथ जो कारण प्रबल हैं, वे दूसरे दौर में भी बहुत अच्छी तरह से लागू होते हैं। आई. ई. एम. को दूसरे दौर में दायर रिट याचिकाओं के अधीन संशोधित किया गया था। इसलिए, निर्माण और उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित करने पर आपत्ति जताते हुए कि अपीलार्थी किसी भी इक्विटी का दावा करने का हकदार नहीं होगा, यह अपीलार्थी द्वारा निर्माण के साथ आगे नहीं बढ़ने और एक संयंत्र स्थापित करने के लिए लिया गया एक उचित और विवेकपूर्ण निर्णय है।

44. मौजूदा चीनी कारखाने ने तर्क दिया था कि आई. ई. एम. समाप्त हो गया है क्योंकि अपीलकर्ता कारखाने को स्थापित करने और शुरू करने में विफल रहा है।

वाणिज्यिक उत्पादन। हालाँकि, हम इस तरह की व्याख्या से सहमत नहीं हैं। हालांकि 10.11.2006 के साथ-साथ 24.08.2016 और 12.08.2018 पर लागू होने वाला खंड 6C मानता है कि आई. ई. एम. को मान्यता नहीं दी जाएगी और प्रदर्शन गारंटी जब्त कर ली जाएगी, स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योग v.

लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

प्रदर्शन गारंटी को खंड 6 डी के संदर्भ में जब्त किया जाना है सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना। हम पाते हैं कि दो शर्तों को पूरा करना होगा-(i) संयंत्र स्थापित करने और उत्पादन शुरू करने में विफलता और फिर (ii) प्रदर्शन गारंटी को जब्त करना। दूसरा तब तक नहीं उठेगा जब तक कि पहला संतुष्ट नहीं हो जाता है और दूसरा कदम नियंत्रण आदेश के खंड 6 डी के संदर्भ में व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का पालन किए बिना नहीं उठाया जा सकता है। जब तक कि

प्रदर्शन गारंटी जब्त कर ली गई है, आई. ई. एम. की कोई समाप्ति नहीं है। इस प्रकार, जब तक आई. ई. एम. की मान्यता रद्द करने के आवश्यक परिणाम नहीं होते हैं

नेवासा और शेवगांव तालुकों से उपलब्ध पूरे बेंत को कुचल दिया और पड़ोसी जिलों औरंगाबाद, जालाना और बीड से भी कुचल दिया। इसने यह भी कहा कि 2016-17 और 2019-20 वर्षों में, बेंत का उपयोग चारा के उद्देश्य से किया जाता था क्योंकि पेराई उपलब्ध बेंत से कम थी। यह कहा जाता है कि नेवासा और शेवगांव तालुका सूखे की चपेट में हैं और चार चीनी मिलों की पेराई क्षमता के संबंध में गन्ने की कमी है। यह प्रस्तुत करता है कि चूंकि वर्ष 1997 से महाराष्ट्र में गन्ना क्षेत्र प्रतिबंध (क्षेत्र निर्धारण) हटा दिए गए हैं, इसलिए गन्ना उत्पादक अपनी पसंद के अनुसार किसी भी चीनी मिल को गन्ना प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को केवल प्रतियोगी के प्रतिरोध के आधार पर चीनी मिल की स्थापना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसके मन में केवल वित्तीय हित था। प्रतिस्पर्धा के मामले में, यह उपभोक्ता (किसान) है जो लाभार्थी है। वर्तमान मामले में, किसानों को प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं मिल रहा है जिससे उन्हें समय पर भुगतान और बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि प्रतियोगियों द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अनुचित है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. यह कहा जा सकता है कि एक आई. ए. की ओर से दायर किया गया है चीनी मिल की स्थापना का समर्थन करने वाले क्षेत्र के लोग लांट। इस तरह के आई. ए. पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है सिवाय इसके कि यह कहा जाए कि आरमर्स भी इस क्षेत्र में कुछ प्रतिस्पर्धा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

47. हम आगे कह सकते हैं कि डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पोर्ट दिनांकित 05.10.2012 ने कार्यकारी शीर्षक के तहत रिपोर्ट किया है मैरी निम्नानुसारः

" 2. गन्ने की अत्यधिक खराब होने वाली प्रकृति, छोटी भूमि गन्ना किसानों की जोत और मूल्य बनाए रखने की आवश्यकता उचित रूप से किफायती स्तर पर चीनी उपलब्ध कराते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) के माध्यम से चालक रहे हैं

( i) बेंत आरक्षण क्षेत्र और बंधन प्रत्येक निर्दिष्ट मिल गन्ने के भीतर गन्ना किसानों से खरीदने के लिए बाध्य है आरक्षण क्षेत्र, और इसके विपरीत, किसान बेचने के लिए बाध्य हैं मिल। क्षेत्र आवश्यकता (दूरी मानदंड) के परिणामस्वरूप, एक नई मिल की स्थापना के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इसके बावजूद उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के तहत विलयन।

( (ख)

XXX

XXX

3. बेंत क्षेत्र आरक्षण और बंधन का उद्देश्य सेवा प्रदान करना है अत्यधिक की न्यूनतम सुनिश्चित आपूर्ति देने का दोहरा उद्देश्य एक मिल के लिए खराब होने वाला कच्चा माल, मिल को प्रतिबद्ध करते हुए

न्यूनतम मूल्य (एफ. आर. पी./एस. ए. पी.) पर खरीद। हालांकि, यह

व्यवस्था किसान की सौदेबाजी की शक्ति को कम कर सकती है, जो

पुनर्प्राप्ति दर। मिल भी गन्ना आपूर्ति बढ़ाने में लचीलापन खो देते हैं, विशेष रूप से जब गन्ना उत्पादन में कमी आती है

4. एक नई मिल की स्थापना के लिए न्यूनतम दूरी मानदंड है - सभी मिलों के लिए गन्ने की न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

इससे बाजार में गड़बड़ी हो सकती है।

आभासी एकाधिकार एम. आई. समर्थ सागर और कृषि उद्योग v. लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

एक बड़े क्षेत्र पर मिलों को किसानों पर शक्ति दे सकते हैं, विशेष रूप से

जहाँ भूमि कम होती है।

यह प्रतिबंध प्रवेश और आगे के निवेश को रोकता है, और प्रतिकूल रूप से गन्ने की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ

जब भी कोई राज्य बेंत निकालता है तो उसे हटा दिया जाता है आरक्षण क्षेत्र और बंधन "।

48. बेंत आरक्षण क्षेत्र और न्यूनतम दूरी के संबंध में

अर्थात्, यह अध्याय 2 में कहा गया था, जब "केन क्षेत्र" से संबंधित था।

न्यूनतम दूरी और न्यूनतम दूरी मानदंड "निम्नानुसार हैः

" 2.1 केंद्र सरकार के हितों की रक्षा कर रही है

विभिन्न नीतियों के माध्यम से गन्ना किसान और चीनी मिलें उपकरण। गन्ना किसानों को न्यूनतम मूल्य का आश्वासन दिया गया है

गन्ने के लिए, मिलों द्वारा देय। दूसरी ओर, चीनी मिलें गन्ने की नियमित आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है

दो मिलों और एक क्षेत्र के बीच न्यूनतम दूरी बनाए रखी जाए

प्रत्येक मिल के लिए बेंत निकालने के लिए निर्धारित किया जाए। अपेक्षाएँ

गन्ना क्षेत्र आरक्षण की मौजूदा प्रणाली में निहित और

मिलों के बीच दूरी के लिए मानदंड निम्नानुसार हो सकता हैः

मिलों को पर्याप्त गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करना और रोकथाम करना

( (i)

गन्ने की खरीद के लिए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा; द्वारा उगाए गए गन्ने की पूरी मात्रा की पेराई सुनिश्चित करना

( (ख)

आरक्षित क्षेत्र में गन्ना किसान, जिनके पास कोई गन्ना नहीं है

मौसम के अंत में अपरिष्कृत रहना; और

( गन्ने की खेती की उत्पादकता में वृद्धि करना ताकि -

किसानों की आय बढ़ाना और आपूर्ति बढ़ाना और मिलों के लिए चीनी की वसूली।

XXX

XXX

XXX

जो सुझाव देते हैं कि गन्ना क्षेत्र का आरक्षण किया जाए

2.5

स्थायी आधार पर किया गया तर्क है कि प्रणाली सुविधा प्रदान करती है

चीनी कारखाने अपने क्षेत्रों में गन्ना विकास कार्य शुरू करेंगे

संबंधित क्षेत्र। उद्योग का यह तर्क हो सकता है

कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में यह सच है, लेकिन [2022] 17 एस. सी. आर. में यह गलत प्रतीत होता है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

में गन्ना उत्पादकता के रुझानों को देखा जाता है

देश। गन्ना उत्पादकता 2000-01 में 68.57 टन/हेक्टेयर थी।

और 2010-11 (68.59 टन/में लगभग समान स्तर पर खड़ा था।

), इसके बाद मामूली रूप से घटकर 68.09 टन/हेक्टेयर हो गया 2011-12 . इस प्रकार, पूरे देश के लिए, गन्ना क्षेत्र

ऐसा प्रतीत होता है कि आरक्षण ने उत्पादकता को बढ़ावा नहीं दिया है।

XXX

XXX

XXX

जो गन्ना क्षेत्र आरक्षण को समाप्त करने के पक्ष में हैं

मिल चाहे वह इससे संतुष्ट हो या नहीं। द माइट सवाल यह है कि क्या एक किसान को "बंधे" रहना चाहिए और

किसी विशेष मिल को गन्ने की आपूर्ति करें, भले ही उसने गन्ने का उत्पादन नहीं किया हो।

उसकी/उसकी पूर्व आपूर्ति के लिए भुगतान। एक मामला है बेंत क्षेत्र आरक्षण देना और स्वतंत्रता देना

किसानों को अपनी पसंद की किसी भी मिल में अपने गन्ने की आपूर्ति करने के लिए।

महाराष्ट्र में बेंत क्षेत्र आरक्षण प्रणाली नहीं है।

और सहकारी मिलों के गैर-सदस्य आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं

किसी भी मिल के लिए बेंत जो उन्हें पसंद हो।

बेंत क्षेत्र आरक्षण और रखरखाव की प्रणाली

मिलों के बीच न्यूनतम दूरी उन्हें सुरक्षित कर रही है।

प्रतिस्पर्धा से और स्थायी एकाधिकार बनाया है।

यह नीति एक किसान को भाग लेने की अनुमति नहीं देती है प्रतिस्पर्धी बाजार में उसकी/उसकी बेंत के लिए सबसे अच्छी कीमत प्राप्त करें।

अक्षम चीनी के निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है मिलों को गन्ने की गारंटीकृत आपूर्ति देकर और

बाजार की ताकतों को एक व्यवहार्य दिशा में काम करने की अनुमति नहीं देना

संतुलन। क्षेत्र के विकास और ब्याज के लिए इस उद्योग में दक्षता की, नीति को अनुमति देनी चाहिए

शुम्पेटेरियन "रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया" काम करने के लिए।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

डॉ. सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों पर। द.

समिति की सिफारिशें और कार्यान्वयन

डॉ. रंगराजन समिति की शर्तें इस प्रकार हैं:

स्वामी समर्थ सागर और कृषि उद्योग बनाम। लोकनेट एम. जी. पी. डी. सहकारी शेखर कारखाना [हेमंत गुप्ता, जे.]

मुद्दे

सिफारिशों का सार

स्थिति

राज्यों से अनुरोध किया गया है

केन

समय के साथ राज्यों को यह करना चाहिए कि

क्षेत्र

ऐसे बाजार के विकास को प्रोत्साहित करें।

वि

चार करें।

आरक्षणः

द.

को

दीर्घकालिक अनुबंध पर आधारित

सिफारिशें

के लिए

मान लिया गया

कार्यान्वयन

व्यवस्था करें, और बेंत को चरणबद्ध तरीके से हटा दें

आरक्षण क्षेत्र और बंधन। में

फिट। अब तक

कोई

अंतरिम, वर्तमान प्रणाली हो सकता है

राज्यों ने

कार्रवाई की है,

जारी रखें।

वर्तमान प्रणाली

जारी है

यह विकास के हित में नहीं है

राज्यों से अनुरोध

किया गया है

न्यूनतम

द.

दूरी मानदंडः

गन्ना किसान या चीनी क्षेत्र,

विचार करने के

लिए
सिफारिशें

और इसे कब और कैसे दिया जा सकता है

के लिए

एक राज्य ने गन्ना आरक्षण को समाप्त कर दिया है

| मान लिया गया

कार्यान्वयन

क्षेत्र और बंधन।

फिट। कोई

आरक्षण नहीं है
महाराष्ट्र में क्षेत्र। आराम करें।

राज्यों ने नहीं

किया है

वर्तमान में कोई

परिवर्तन
व्यवस्था करें।

50. हम केंद्र सरकार द्वारा दिए गए तर्क पर भी ध्यान देते हैं

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 को 31.08.1998 पर समाप्त कर दिया गया था। अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा के दो प्रमुख पहलू हैं-एक मौजूदा और नए चीनी कारखाने से संबंधित और दूसरा किसानों के संदर्भ में। मौजूदा और नई चीनी के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाना, यह किसान होंगे जो लाभार्थी होंगे क्योंकि उनके पास चीनी मिल का चयन करने का विकल्प होगा जो मूल्य के भुगतान के तरीके में बेहतर सेवा प्रदान करता है। रंगराजन समिति की सिफारिशों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र सरकार ने समय में विस्तार देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, अंतिम लाभार्थी किसान होगा न कि मौजूदा या नए चीनी कारखाने को।

51. इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के आदेश को अस्थिर पाते हैं।

नतीजतन, अपीलों को अनुमति दी जाती है और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। मुकदमेबाजी के दूसरे दौर में बिताई गई अवधि को भी उस अवधि का निर्धारण करते समय बाहर रखा जाएगा जिसके दौरान संयंत्र की स्थापना की जानी थी और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना था।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन और अमरेंद्र कुमार

( सहायकः प्रज्ञा सामल, एलसीआरए)